

आयालय तहसीलदार / नायब तहसीलदार बाई

मु.नं: 69/2018

निर्णय दिनांक 25/11/2018

उनवान:- हाका काउ हुनीरा

आज पत्रावली पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पटवारी

हल्का सककावादे ने इस आशय के साथ रिपोर्ट पेश की है कि आराय

खसरा नम्बर 440/673 रकबा 1-10 बीघा किस्म कागनी के

बारे ग्राम काउकयुल पर अकरी हुनीरा पुत्र चरन सिंह

जाति कोथ निवासी काउकयुल तहसील बाई

ने सन्बर 440/673 रवी/खरीफ में फसल सरसो

अतिक्रमण किया है। दर्ज रजिस्टर पर अतिक्रमी को नियमानुसार अधि 1956

धारा 91 एल. आर. एक्ट के तहत नोटिस जारी किया गया। अतिक्रमी रही

पटवारी हल्का ने उपस्थित अतिक्रमण होना बताया।

अतिक्रमी अकरी हुनीरा पुत्र चरन सिंह

जाति कोथ निवासी काउकयुल को आ. ख. नं. 440/673

रकबा 1-10 बीघा वारे ग्राम काउकयुल से तुरन्त प्रभाव से

बेदखसल किया जाता है तथा लगान का 50 गुना शास्ती राशि 338/- (अक्षरे

अपेय लीन के हुनीरा) आरोपित की जाती है। पैनल्टी वसूली एवं फसल नीलामी हेतु पटवारी

हल्का एवं भू. अभि. निको लिखा जावे। T R A को मतालवा कायम कराया जावे। इजराय पत्रावली

पृथक से संधारित की जाकर पत्रावली दाखिल दफतर है।

फैसला आल दिनांक 25/11/2018 को

खुले इजलास पढकर सुनाया गया।

338 - 6
 पत्रावली का अवलोकन
 किया गया है
 की रूप में
 दिनांक
 25/11/18
 तहसील बाई

तहसीलदार
 तहसील बाई (धोलपुर), राज